Re-routing of Poona-Miraj railway line

1740. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that railway line from Poona-Miraj has been re-routed via Sangli;

(b) whether the proposal to route this line from Miraj to Madhavnagar to Pune has been dropped; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Constraint of resources and heavy commitments already on hand for New Lines.

Refuelling facilities at the Bhuntar Airport

1741. SHRI ANAND SHARMA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the inconvenience to passengers due to technical halts in the absence of refuelling facilities at the Bhuntar Airport near Kulu; and

(b) whether any requests have been received for providing refuelling facility at the said airport; if so, the action taken in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTI LAL VORA): (a) and (b) Yes, Sir. This matter has been taken up and is being followed up with the Ministry of Petroleum & Natural Gas and the oil companies.

दिल्ली में चल रही गैर-सरकारी बसें

1742. **श्री शरद यादव :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही बसों को हरा दिया गया है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें अतिरिक्त राशि के रूप में 250/- रु० प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं और यदि हां, तो इतनी बड़ी राशि दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1988 के बाद दिल्ली परिवहन निगम की आय में भारी कमी आ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो 15 जनवरी, से 31 जनवरी, 1988 के बीच दिल्ली परिवहन निगम की प्रतिदिन औसत आय कितनी थी और 1 अप्रैल, से 15 अप्रैल 1988 के बीच प्रतिदिन औसत आय कितनी रही ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की 17-3-88 से हुई हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए निजी बसों के किलोमीटरेज प्रचालन की पद्धति को विशेष प्रबन्ध में परिवर्तित कर दिया गया था क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम के पास कोई कंडक्टर सुलभ नहीं था । इस विशेष प्रबंध के तहत निजी प्रचालकों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए पासों को मान्यता देने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में प्रति दिन 200 रु० का भुगतान किया जाता है, यद्यपि ऐसी बसों के ड्राइवरों को प्रतिदिन दिया जाने वाला 50 रु० का प्रोत्साहन 5-4-1988 से बन्द कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । दिल्ली परिवहन निगम की 15-1-1988 से 31-1-1988 तक की अवधि की औसत दैनिक आय 26.92 लाख रु० थी जबकि 1-4-88 से 15-4-88 तक की अवधि की

उसी आधार पर औसत दैनिक आय 25.94 लाख रु० थी ।

देश में विद्यालय तथा महाविद्यालय

1743. **श्री शरद यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987 के अन्त तक देश में कुल कितने विद्यालय तथा महाविद्यालय चल रहे थे ;

(ख) कितने महाविद्यालय सम्पूर्ण रूप से क्रमशः केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों को दान देना पड़ता है यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे विद्यालयों और महाविद्यालयों के नाम क्या हैं ;

(घ) 1987–88 के दौरान दिल्ली में चल रहे माडर्न स्कूल, सेंट कोलम्बस और दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा दान के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार दान दिए, उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ङ) दान के आधार पर पब्लिक स्कूलों में प्रवेश लेने पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार पब्लिक स्कूलों पर रोक लगाने का विचार कर रही हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : (क) और (ख) 31–12–1987 तक की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए चन्दा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) और (च) दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के अनुसार दाखिले प्राप्त करने के लिए चंदों का प्रावधान नहीं है । इसलिए चन्दों के आधार पर दाखिलों पर प्रतिबंध लगाने या पब्लिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Treatment of respiratory disease

1744. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether acute respiratory disease is a major cause of morbidity in the population and mortality in the old persons and if so, the details of incidence, State-wise and year-wise for the last 3 years indicating the various sectors of population affected and the groups of bacteria/viruses responsible;

(b) whether any vaccine has been developed in the country for the treatment of this disease;

(c) whether any work is in progress using new biotechnology such as genetic engineering for the production of effective vaccines; and

(d) what are the achievements of National Influenza Centres including centres recognised by WHO and whether progress has been considered satisfactory and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTI LAL VORA): (a) Yes, Sir. Acute respiratory disease is a major cause of morbidity in the population and mortality in the old persons. The respiratory diseases are not notifiable diseases and therefore the exact number of people suffering from this disease in the country is not available. However, a statement indicating the number of patients